

भारत का राजपत्र

सी. जी. - डी. एल. - अ. - 12082023-248047

CG- DL E 12082023-248047

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खंड 1

PART II — Section 1

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

क्रमांक 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945 (शक)
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SRAVANA 20, 1945 (SAKA))

इस भाग का अलग पृष्ठांकन किया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कानून और न्याय मंत्रालय (विधान विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2023/श्रावण 20, 1945 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया गया:-

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023

सं. 18 या 2023

[11 अगस्त, 2023]

अपराधों को अपराधमुक्त करने और तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करने का अधिनियम
जीवन यापन और व्यवसाय करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन को और अधिक बढ़ाना।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित
किया जाए:-

1. (1) इस अधिनियम को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकती है; और अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित संशोधनों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।

2. अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिनियमों को उसके कॉलम (5) में उल्लिखित सीमा तक और तरीके से संशोधित किया जाता है।

3. कैसा भी मामला हो, उसके लिए निर्धारित जुर्माने या शास्तियों की न्यूनतम राशि; इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदान किए जाने वाले जुर्माने और दंड में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

4. इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमित में संशोधन या निरसन किसी भी अन्य अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरस्त अधिनियम लागू किया गया है, शामिल किया गया है या संदर्भित किया गया है;

और यह अधिनियम पहले से किए गए या भुगतें गए किसी भी कार्य की वैधता, अमान्यता, प्रभाव या परिणाम, या पहले से अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपाय या कार्यवाही, या किसी रिहाई या निर्वहन को प्रभावित नहीं करेगा। या किसी ऋण, शास्ति, कर्तव्य, दायित्व, दावे या मांग से, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति से, या किसी पिछले कार्य या वस्तु के प्रमाण से;

इस बात के बावजूद कि क्रमशः किसी भी तरीके से पुष्टि की जा सकती है, या मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न, किसी भी अधिनियमन में या उससे एतद्वारा संशोधित या निरसित किया जा सकता है; यह अधिनियम न ही कानून के किसी सिद्धांत या नियम, या स्थापित क्षेत्राधिकार, पैरवी के रूप या अभिवचन, अभ्यास या प्रक्रिया, या मौजूदा उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, कार्यालय या नियुक्ति को प्रभावित करेगा;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमित में संशोधन या निरसन किसी अधिकार क्षेत्र, कार्यालय, प्रथा, दायित्व, अधिकार, शीर्षक, विशेषाधिकार, प्रतिबंध, छूट, उपयोग, अभ्यास, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज़ को पुनर्जीवित या बहाल करेगा जो अब मौजूद या लागू नहीं है।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

क्र. सं.	वर्ष	क्र.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1867	25	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867	(A) धारा 8C (i) उपधारा (1) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 8B के अधीन घोषणा" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने का आदेश या धारा 13 के अधीन या धारा 19K के तहत जुर्माना लगाना" लगाया जाएगा; (ii) उपधारा (2) में, "मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड" शब्दों के बाद, "या प्रेस रजिस्ट्रार से, जैसा भी मामला हो," शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे। (B) धारा 12 से 14 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की

जाएंगी, अर्थात:-

"12. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दीकरण.- (1) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी समाचार पत्र के पंजीकरण प्रमाणपत्र को एक वर्ष की अवधि तक निलंबित कर सकता है, यदि-

(क) प्रकाशक लगातार अखबार प्रकाशित करने में विफल रहा है। स्पष्टीकरण।-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई समाचार पत्र अपने आधे से भी कम मुद्दे प्रकाशित करता है, जैसा कि धारा 5 के नियम (6) के अधीन प्रकाशित होना आवश्यक है, तो ऐसा समाचार पत्र लगातार प्रकाशित होने में विफल माना जाएगा; या

(b) किसी समाचार पत्र के प्रकाशक ने वार्षिक विवरण में गलत विवरण दिया है; या

(c) किसी समाचार पत्र का प्रकाशक वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसके लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना था।

(2) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है, जहां-

(i) किसी समाचार पत्र का प्रकाशन चौबीस महीने से अधिक समय से बंद है;

(ii) किसी समाचार पत्र का प्रकाशक उस अवधि की समाप्ति के बाद भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसके दौरान उपधारा (1) के खंड (c) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया गया था;

(iii) पंजीकरण गलत प्रतिनिधित्व या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया था;

(iv) अखबार का शीर्षक वही या समान शीर्षक रखता है जो पहले से ही अखबार के किसी अन्य मालिक के पास है, या तो भारत में कहीं भी उसी भाषा में या उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी अन्य भाषा में।

(3) जैसा भी मामला हो, समाचार पत्र के प्रकाशक या मालिक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, इस धारा के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन पारित निलंबन या रद्दीकरण के आदेश की एक प्रति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. कुछ उल्लंघनों के लिए शास्तियां। -प्रेस रजिस्ट्रार शास्ति लगा सकता है-

(i) दस हजार रुपये तक जहां प्रकाशक धारा 3 में निहित प्रावधानों के

अनुरूप होने के अलावा किसी पुस्तक या पेपर को प्रिंट या प्रकाशित करता है; भाग II-

(ii) दस हजार रुपये तक, जहां प्रेस का रखरखाव धारा 4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करने और हस्ताक्षर करने में विफल रहता है;

(iii) बीस हजार रुपये तक, जहां प्रकाशक वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर धारा 19D के खंड (a) के अधीन आवश्यक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसके संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था;

(iv) बीस हजार रुपये से अधिक नहीं, जहां कोई व्यक्ति जो किसी समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है, धारा 8 के प्रावधानों के अनुपालन में घोषणा करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है;

(v) धारा 9 में निर्दिष्ट मानचित्रों के साथ किताबें न देने या प्रिंटर की आपूर्ति न करने के लिए दो हजार रुपये से अधिक नहीं;

(vi) दो हजार रुपये से अधिक नहीं, जहां समाचार पत्र का कोई भी मुद्रक धारा 11A और 11B के प्रावधानों के अनुपालन में समाचार पत्र की प्रतियां वितरित करने में उपेक्षा करता है।"

(C) धारा 15A से 17 तक निष्क्रिय कर दी जाएंगी।

(D) धारा 19K के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"19K. धारा 19D या धारा 19E के उल्लंघन के लिए शास्ति। —यदि किसी समाचार पत्र का प्रकाशक—

(a) धारा 19D या धारा 19E के खंड (b) के प्रावधानों का पालन करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है; या

(b) धारा 19D के खंड (b) के अनुसरण में समाचार पत्र में समाचार पत्र से संबंधित कोई भी विवरण प्रकाशित करता है जिसके बारे में उसके पास झूठा विश्वास करने का कारण है, तो वह दस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा।

(E) धारा 19L लोप कर दी जाएगी।

अध्याय X लोप कर दिया जाएगा।

2	1898	6	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898
3	1923	5	बॉयलर अधिनियम, 1923

(A) धारा 22 में,-

(a) खंड (iii) में, शब्द और अंक "धारा 16" के स्थान पर, शब्द और अंक "धारा 16; या" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(b) खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(iv) धारा 18 के अधीन आवश्यक होने पर बॉयलर या बॉयलर घटक की दुर्घटना की रिपोर्ट करना,";

(c) लंबी पंक्ति में, "जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर "शास्ति का दायी" शब्द रखे जाएंगे।

(B) धारा 23 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"23. बॉयलर के अवैध उपयोग के लिए शास्ति। -बॉयलर का कोई भी मालिक जो-

(a) किसी भी मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन बॉयलर के उपयोग के लिए एक प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश की आवश्यकता होती है, बॉयलर का उपयोग या तो ऐसे किसी प्रमाण पत्र या आदेश के लागू होने के बिना या उसके द्वारा अनुमत दबाव से अधिक दबाव पर करता है; या

(b) ऐसे बॉयलर का उपयोग करता है या उपयोग करने की अनुमति देता है जिसे धारा 6 के खंड (b) के अधीन आवश्यक ऐसे हस्तांतरण की रिपोर्ट किए बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है; या

(c) इस अधिनियम के अधीन बॉयलर को आवंटित रजिस्टर संख्या को धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन आवश्यकता अनुसार बॉयलर पर स्थायी रूप से अंकित करने में विफल रहता है तो शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, और लगातार उल्लंघन या विफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति जो हर दिन के लिए एक हजार रुपये तक हो सकती है, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन या विफलता जारी रहती है।"।

(C) धारा 24 में, खंड (a), (b) और (d) का लोप कर दिया जाएगा।

(D) धारा 25 में, उपधारा (1) में, शब्द "जुर्माने से दंडनीय" के स्थान पर, "शास्ति का दायी" शब्द रखे जाएंगे।

(E) धारा 26 के बाद, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"26A. न्यायनिर्णयन- (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन दंड निर्धारित करने के लिए जैसा भी मामला हो, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत कर सकता है; जो मामले और क्षेत्राधिकार के अनुसार राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीकों से जांच करने और शास्ति लगाने के न्यायनिर्णायक अधिकारी होंगे।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुला सकता है और लागू कर सकता है, जो

न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो, और यदि, ऐसी जांच पर, उन्हें समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति धारा 22 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, धारा 23, धारा 25 और धारा 30 की उपधारा (1) के अनुसार, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

26B. अपील--(1) जो धारा 26A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से कभी व्यथित हो सकेगा, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिव के पद से अन्यून के अधिकारी को अपील करने के लिए अपील कर सकेगा, जो इस निमित्त उस सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत होगा, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, ऐसे रूप और तरीके से जैसा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे पारित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटारा दाखिल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।"

खंड 1]

(F) धारा 27 में, "प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या एक" शब्द लोप कर दिए जाएंगे।

(G) धारा 28A में, उपधारा (14) में, खंड (c) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ca) धारा 26A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करना;

(cb) धारा 26B की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका;"।

(H) धारा 29 में, उपधारा (1) में, खंड (h) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ha) धारा 26A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने का तरीका;

(hb) धारा 26B की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका;"।

				(I) धारा 30 में,-
				(i) शब्दों के लिए "दंडनीय, पहले अपराध के मामले में, जुर्माने के साथ", शब्द "शास्ति का दायी, पहले उल्लंघन के मामले में, शास्ति के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
				(ii) "बाद में अपराध, जुर्माने के साथ" शब्दों के स्थान पर "बाद में उल्लंघन, शास्ति के साथ" शब्द रखे जाएंगे।
4	1927	16	भारतीय वन अधिनियम, 1927	(A) धारा 26 में,-
				(i) उपधारा (1) में, खंड (d) और (e) का लोप कर दिया जाएगा;
				(ii) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-
				"(1A) कोई भी व्यक्ति, जो आरक्षित वन में-
				(a) मवेशियों का अनधिकार प्रवेश, चराने या मवेशियों के अनधिकार प्रवेश की अनुमति देने पर धारा 68 के अधीन अधिकार प्राप्त वन अधिकारी द्वारा निर्धारित जंगल को हुए नुकसान के मुआवजे के अलावा, शास्ति लगाया जा सकता है, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है;
				(b) किसी वृक्ष या शहतीर/लट्ठा काटने या खींचने में लापरवाही से कोई क्षति करेगा, वह शास्ति का भागी होगा जो धारा 68 के अधीन अधिकार प्राप्त वन अधिकारी द्वारा निर्धारित जंगल को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
				(B) धारा 33 में,-
				(i) उपधारा (1) में, खंड (e), (f) और (g) का लोप कर दिया जाएगा;
				(ii) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-
				"(1A) कोई भी व्यक्ति जो संरक्षित वन में-
				(a) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी भी पेड़ के आसपास, चाहे वह खड़ा हो, गिरा हुआ हो या किसी संरक्षित जंगल का बंद हिस्सा हो, उसके द्वारा जलाई गई आग को जलता हुआ छोड़ देता है;
				(b) किसी भी पेड़ को गिराता है या किसी लकड़ी को खींचता है ताकि पूर्वोक्त रूप से आरक्षित किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचे, वह शास्ति का दायी होगा जो वन-अधिकारी को धारा 68 के अधीन निर्धारित वन को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के अतिरिक्त पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
				(C) धारा 68 में,-
				(i) सीमांत शीर्षक के लिए, निम्नलिखित सीमांत शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

5	1937	1	कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं अंकन) अधिनियम, 1937	"अपराधों को कम करने और शास्ति लगाने की शक्ति।"; (ii) उपधारा (1) में- (I) खंड (a) में, शब्द ", और" के स्थान पर, शब्द "; या" प्रतिस्थापित किया जाएगा; (II) खंड (a) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "(aa) धारा 26 की उपधारा (1A) या धारा 33 की उपधारा (1A) के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति से शास्ति या मुआवजे के रूप में धन स्वीकार करना; और" (A) धारा 3 में, उपधारा (2) में, खंड (g) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात:- "(ga) धारा 5C की उपधारा (1) के अधीन जांच करना और शास्ति लगाना; (ga) धारा 5D की उपधारा (1) के अधीन अपील करना;"। (B) धारा 4 में, शब्दावली "एक अवधि में छह महीने तक का कारावास और पांच हजार रुपये तक की शास्ति" के स्थान पर, शब्दावली "पांच लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (C) धारा 5 में, शब्दावली "तीन साल तक का कारावास और पांच हजार रुपये तक जुर्माना" के स्थान पर, "पंद्रह लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्दावली रखी जाएगी। (D) धारा A में, "छह महीने तक का कारावास और पांच हजार रुपये तक की शास्ति" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द रखे जाएंगे। (E) धारा 5B में, उपधारा (4) में, शब्द "छह मास तक का कारावास और पांच हजार रुपए तक की शास्ति" के लिए, शब्दावली "पांच लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द से प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (F) धारा 5C के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- "5C. न्यायनिर्णायक अधिकारी - (1) केन्द्र सरकार, धारा 4, 5, 5A और 5B के अधीन शास्तियों के निर्धारण और निर्धारित तरीके से जांच और जुर्माना लगाने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति करेगी; जो भारत सरकार या राज्य सरकार में उप सचिव पद के नीचे का अधिकारी नहीं होगा: बशर्ते कि केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सके। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों
---	------	---	---	--

से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुला सकता है और उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है। जांच की विषय-वस्तु और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति धारा 4, 5, 5A और 5B के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह शास्ति लगा सकता है:

लेकिन संबंधित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

5D. अपील.- (1) जो कोई भी धारा 5C के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार को अपील कर सकता है।

(2) यदि अपीलकर्ता द्वारा कृषि विपणन सलाहकार का यह समाधान हो जाता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का कोई पर्याप्त कारण था तो अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है।

(3) कृषि विपणन सलाहकार, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जो वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृषि विपणन सलाहकार अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा

5E. वसूली.- इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि धारा 5C के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति या धारा 5D के अधीन कृषि विपणन सलाहकार के आदेश, जैसा भी मामला हो, जमा नहीं किया जाता है, तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

6 1940 23 औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940

(A) धारा 29 में, "पांच हजार रुपये तक जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द रखे जाएंगे।

(B) धारा 30 में, उपधारा (2) में, शब्द "कारावास जो दो साल तक हो सकती है, या जुर्माना जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों के साथ", शब्द "जुर्माना जो कि पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा" रखा जाएगा।

(C) धारा 32B में, उपधारा (1) में, "धारा 13 के" शब्दों और अंकों के बाद, शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "धारा 27 के खंड (d) और धारा 27A का खंड (ii)" रखा जाएगा।

7 1944 18 सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944

धारा 27 निरसित कर दी जाएगी।

8 1947 24 रबर अधिनियम, 1947

(A) धारा 11 में, उपधारा (3) में, शब्द "एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित

किया जा सकता है", शब्दों और अंकों में "जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या धारा 14 के तहत जारी लाइसेंस रद्द करना, या दोनों के साथ" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(B) धारा 13 में, उपधारा (3) निरसित कर दी जाएगी।

(C) धारा 25 में, उपधारा (2) में, खंड (xxiii) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात:-

"(xxiiia) धारा 26B की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने का तरीका;

(xxiiib) धारा 26B की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका;"।

(D) धारा 26 में, उपधारा (1) में, लंबी पंक्ति में, शब्दों के लिए "एक वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों", शब्द "शास्ति के लिए दायी जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" रखा जाएगा।

(E) धारा 26A के बाद, निम्नलिखित धारा डाली जाएगी, अर्थात:-

"26B। शास्तियों का न्यायनिर्णयन। -(1) धारा 11 और धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन शास्ति का निर्णय करने के प्रयोजनों के लिए, कार्यकारी निदेशक बोर्ड के सचिव या केंद्र द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगा। सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी भी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, निर्धारित तरीके से जांच करने और शास्ति लगाने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।

(2) जो कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप और तरीके से, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, कार्यकारी निदेशक को अपील कर सकता है।

(3) यदि अपीलकर्ता कार्यकारी निदेशक को यह समाधान हो जाता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है, तो साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा दाखिल होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन लगाई गई शास्ति की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

9	1948	8	फार्मैसी अधिनियम, 1948	(A) धारा 18 में, उपधारा (2) में, खंड (h) के बाद, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात:- "(i) जांच करने का तरीका और धारा 43A की उपधारा (1) के अधीन शास्ति लगाना; (j) धारा 43A की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका", (B) धारा 26A में, उपधारा (3) में, "छह माह तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडनीय" शब्दों के लिए, शब्द "जो एक लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (C) धारा 41 में, उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "(1) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम फिलहाल राज्य के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, झूठा दिखावा करता है कि दर्ज है या अपने नाम या उपनाम (टाइटल) के संबंध में किसी ऐसे शब्द या अक्षरों का उपयोग करता है जो यह सुझाव देने के लिए उचित रूप से गणना की जाती है कि उसका नाम है इस प्रकार दर्ज किए जाने पर, वह पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने से, जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, और बाद में दोषी ठहराए जाने पर कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा: बशर्ते कि यह एक बचाव होगा कि यदि व्यक्ति का नाम दूसरे राज्य के रजिस्टर में दर्ज है और दावे के समय, राज्य में पंजीकरण के लिए एक आवेदन किया गया हो। (D) धारा 42 में, उपधारा (2) में, शब्द "एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों" के स्थान पर, शब्दावली "एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (E) धारा 43 के बाद, निम्नलिखित धारा डाली जाएगी, अर्थात:- "43A. शास्तियों का न्यायनिर्णयन। -(1) धारा 26A के अधीन शास्तियों का निर्णय करने के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार राज्य परिषद के अध्यक्ष को, जहां कथित उल्लंघन किया गया है, जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी बनने के लिए अधिकृत करेगी और किसी भी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, धारा 18 के अधीन निर्धारित तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा। (2) जो कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रपति, केंद्रीय परिषद को ऐसे प्रारूप और तरीके से
---	------	---	------------------------	--

अपील कर सकता है जो धारा 18 के अधीन निर्धारित किया जा सकता है।

(3) यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था तो अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद पैंतालीस दिनों के बाद अपील पर विचार कर सकता है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा दाखिल होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन लगाई गई शास्ति की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

10 1951 65 उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

(A) धारा 24 में, उपधारा (1) में, लंबी लाइन के स्थान पर निम्नलिखित लंबी लाइन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
"वह शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

(B) धारा 24A के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"24A। न्यायनिर्णयन- (1) केंद्र सरकार, धारा 24 के अधीन दंड का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में, जांच करने और और उस तरीके से शास्ति लगाने के लिए अधिकृत करेगी, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुला सकता है और लागू कर सकता है, जो निर्णय करने वाले अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है और यदि, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह धारा 24 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे:

बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

24B. अपील। - (1) जो कोई भी धारा 24A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो, वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून के किसी अधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे

(4) उपधारा (1) के अधीन अपील का निपटारा दाखिल होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

24C. वसूली-इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि धारा 24A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति या धारा 24B के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, जैसा भी मामला हो, जमा नहीं किया जाता है, तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(C) धारा 27 निरसित कर दी जाएगी।

(D) धारा 28 में, शब्द "अभियोजित" के स्थान पर, शब्द "लगाई गई शास्ति" रखी जाएगी।

(E) धारा 29 और 29A निरसित कर दी जाएगी।

(F) धारा 30 में,-

(i) उपधारा (2) में, खंड (pp) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात:-

"(ppa) धारा 24A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने का तरीका;

(ppb) धारा 24B की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका;"

(ii) उपधारा (3) में, शब्द "दंडनीय" के स्थान पर, "शास्ति के लिए दायी" शब्द रखे जाएंगे।

(A) धारा 7 में,-

(i) उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:-

'(1) यदि कोई व्यक्ति-

(a) विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना (जिसे साबित करने की जिम्मेवारी ऐसे व्यक्ति पर होगी) किसी फिल्म को प्रमाणित किए जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या छेड़छाड़ करता है, उसे कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक होगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(b) किसी भी स्थान पर किसी भी फिल्म का प्रदर्शन या प्रदर्शन करने की अनुमति देता है-

(i) जो बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है;

(ii) जो प्रदर्शित होने पर बोर्ड का निर्धारित चिह्न प्रदर्शित नहीं करता;

(iii) जो प्रदर्शित होने पर बोर्ड का एक चिह्न प्रदर्शित करता है जिसे चिह्न लगाने के बाद बदल दिया गया है या छेड़छाड़ की गई है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ सकती है या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकती है, या दोनों से और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(c) खंड (a) या खंड (b) के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी स्थान पर वीडियो फिल्म प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों, और सतत अपराध के मामले में अतिरिक्त जुर्माना, जो अपराध जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है;

(d) किसी ऐसी फिल्म को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, जिसे बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अर्थ में 'A' के रूप में प्रमाणित किया गया है, ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक प्रदर्शनी के लिये प्रति व्यक्ति दस हजार रुपये तक की शास्ति का भागी होगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा;

(e) किसी भी फिल्म को, जिसे इस अधिनियम के अर्थ में बोर्ड द्वारा 'S' के रूप में प्रमाणित किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो ऐसे पेशे या वर्ग का सदस्य नहीं है, ऐसी प्रत्येक प्रदर्शनी के लिए प्रति व्यक्ति दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा;

(f) धारा 6A में निहित प्रावधानों या केंद्र सरकार या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों या कार्यों में से किसी के प्रयोग में दिए गए किसी भी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और निर्धारित तरीके से लगाए गए पांच लाख रुपये से अधिक की शास्ति का दायी नहीं होगा:

बशर्ते दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है, खंड (a) से (c) के अधीन इस भाग के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सिद्धोप

किसी व्यक्ति को पांच हजार रुपए से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा:

बशर्ते कोई भी वितरक या प्रदर्शक या सिनेमा घर का मालिक या कर्मचारी सावधानी के समर्थन की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसे इस भाग के अधीन "UA" के रूप में प्रमाणित किया गया है।';

(ii) उपधारा (3) के बाद, निम्नलिखित उपधारा डाली जाएगी, अर्थात:-

"(4) जो कोई भी उपधारा (1) या धारा 14 के खंड (d) से (f) के अधीन लगाए गए किसी शास्ति से व्यथित है, वह ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे रूप और तरीके से अपील कर सकता है जैसा कि हो सकता है निर्धारित किया जाए।"

(ख) धारा 8 में, उपधारा (2) में, खंड (cb) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात:-

"(cc) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (d) से (f) के संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी और उसके द्वारा शास्ति लगाने का तरीका;

(cd) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील और अपीलीय प्राधिकारी को प्राथमिकता देने की अवधि, रूप और तरीका;"

(C) धारा 14 में, "एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय और, सतत अपराध के मामले में, प्रत्येक दिन, जिस दौरान अपराध जारी रहता है के लिए अतिरिक्त जुर्माना एक सौ रुपये तक हो सकता है", शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपये की शास्ति का दायी और, सतत उल्लंघन के मामले में, अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन, जिस दौरान उल्लंघन जारी रहता है के लिए दस हजार रुपये तक हो सकती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(D) धारा 15 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"15. लाइसेंस को वापिस लेने या निलंबित करने की शक्ति.- (1) जब लाइसेंस धारक को धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (a) से (c) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो लाइसेंस को लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वापिस लिया जा सकता है।

(2) यदि लाइसेंस धारक पर धारा 7 या धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (d) से (f) के अधीन उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस को तीस दिन तक की अवधि के लिए निलंबित की जा सकती है।

परंतु तीन साल की अवधि में तीन से अधिक उल्लंघनों के मामलों में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा लाइसेंस रद्द कर सकता है:

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश लाइसेंस धारक को सुनवाई

12 1953 29 चाय अधिनियम, 1953

का उचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा।

(A) धारा 38 से 40 का लोप कर दिया जाएगा।

(B) धारा 41 की उपधारा (1) में, "छह महीने तक की कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 42 में, "छह महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों, और सतत उल्लंघन के मामले में हर दिन अतिरिक्त जुर्माना, जिसके दौरान इस तरह के उल्लंघन के लिए पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकता है," शब्दों के स्थान पर, शब्द "पचास हजार रुपये तक की शास्ति का दायी और बाद में उल्लंघन के लिए, शास्ति एक लाख रुपये तक की हो सकती है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(D) धारा 42 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"42A. दंडों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 41 और धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन दंडों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड के उपाध्यक्ष बोर्ड के सचिव या अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा, यथास्थिति, विहित तरीके से जांच करने और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के पद पर नियुक्त करेंगे।

(2) जो कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप और रीति से, जैसा विहित किया जा सकता है, बोर्ड के उपाध्यक्ष को अपील कर सकता है।

(3) यदि अपीलकर्ता उपाध्यक्ष को यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न कर पाने का कोई पर्याप्त कारण है तो अपील साठ दिन के बाद भी स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा दायर होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(E) धारा 49 की उपधारा (2) में, खंड (x) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(xa) धारा 42A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की विधि;

			(xb) धारा 42A की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति;"।
13	1957	14	कॉपीराइट अधिनियम, 1957
14	1958	44	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
			(A) धारा 436 में,-
			(a) उपधारा (2) में, सारणी में, कॉलम 1 के अधीन उल्लिखित क्रम संख्याओं के विरुद्ध, कॉलम 2 के अधीन अपराधों के संबंध में, कॉलम 3 के अधीन धाराओं और कॉलम 4 के अधीन शास्तियों से संबंधित क्रमशः यथा उपबंधित रीति से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
क्रमांक संख्या	अपराध	इस अधिनियम की धारा किस अपराध का संदर्भ है	शास्ति
1	2	3	4
16			"शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकती है। "
29			"शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकती है। "
35			"शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकती है। "
43			"शास्ति जो दो लाख रुपये तक हो सकती है। "
44			"शास्ति जो पचास हजार रुपये तक हो सकती है। "
57(a)			"वह जहाज पर छोड़ी गई अपनी सारी संपत्ति या उसका कोई भाग तथा उसके बाद अर्जित मजदूरी जब्त की जा सकती है, और यदि परित्याग भारत के अलावा किसी अन्य स्थान पर होता है, तो भी जब्ती की जा सकती है, किसी अन्य जहाज में अर्जित मजदूरी का

			सम्पूर्ण या आंशिक भाग जब्त की जा सकती है, जिसको भारत में उसकी वापसी तक नियोजित की जा सकती है, तथा उस जहाज के मालिक या स्वामी द्वारा दी गई किसी अतिरिक्त मजदूरी की पूर्ति करना, जिसे वह अपने स्थान पर नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तथा जो उसे दी जाने वाली मजदूरी की निर्धारित दर से अधिक हो।"
57(b)			"वह, यदि उल्लंघन परित्याग की राशि नहीं है, तो अपनी मजदूरी में से दो दिन के वेतन तक की राशि जब्त करनी होगी और इसके अलावा अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए या तो छह दिन के वेतन तक की राशि या किसी विकल्प को किराए पर लेने में उचित रूप से खर्च किए गए किसी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
59	(iv) धारा 194 का खंड(d)	194(d)	"तीन मास तक का कारावास या पांच सौ रुपये तक की शास्ति, या दोनों;"
	(iva) धारा 194 का खंड (e) 194	194(e)	"एक मास तक का कारावास जो और ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा के प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए, उसकी मजदूरी में से छह दिन के वेतन तक की राशि या किसी अन्य व्यय का हरण करना, जो किसी स्थानापन्न को किराए पर लेने में उचित रूप से

		किया गया हो।
60		"शास्ति जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है। "
65		"शास्ति जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकती है। "
66a		"शास्ति जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकती है। "
68		"शास्ति जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकती है। "
72		"शास्ति जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकती है।
84		"शास्ति जो पहले अपराध के लिए एक लाख रुपये और प्रत्येक बाद के अपराध के लिए पांच लाख रुपये तक बढ़ सकती है। "
108B		"मास्टर, मालिक या एजेंट शास्ति का दायी होगा जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकती है और जहाज को जब्त भी किया जा सकता है।"
109		"शास्ति जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकती है। "
115D(i)		"अपराधी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकती है।"
133		"शास्ति एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है और जहाज को जब्त भी किया जा सकता है।"
135		"शास्ति पचास हजार रुपये तक बढ़ सकती है।"
137		"शास्ति एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है और जहाज को जब्त भी किया जा सकता है।"
137J		"शास्ति एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है और जहाज को जब्त भी किया जा सकता है।"

(b) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः -

"(3) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए निर्धारित शास्ति वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा लगाई जाएगी:

परंतु जब तक पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है तब तक इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी

(4) जो कोई भी उपधारा (3) के अधीन प्रधान अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर महानिदेशक के समक्ष ऐसे प्रारूप और रीति में जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है अपील कर सकता है। (5) महानिदेशक, उपधारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उचित आदेश पारित कर सकता है।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन, जिसके लिये शास्ति विहित की गई है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, प्रथम उल्लंघन के लिये संयोजित किया जा सकेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी उल्लंघन को संयुक्त किया गया हो, किसी भी मामले में राशि, ऐसे उल्लंघन के लिए अधिरोपित किए जाने वाले शास्ति की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद, यदि यथास्थिति, उपधारा (3) के अधीन या महानिदेशक के आदेश के अधीन समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो वह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(B) धारा 436 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"436A. नियम बनाने की शक्ति - केंद्र सरकार, पिछले प्रकाशन की शर्तों के अधीन, धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन व्यापारिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के प्रारूप और रीति को निर्धारित करने वाले नियम बना सकती है।

15 1961 47 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961

धारा 47 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

"(2) यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, खाते या अन्य दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या कोई विवरण या जानकारी देने में विफल रहता है,

जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत या देना उसका कर्तव्य है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक विफलता के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, और लगातार विफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, जो ऐसी पहली विफलता के बाद प्रत्येक दिन के लिए सात हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के उद्देश्य से, निगम उस व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसमें उसे कारण बताने की आवश्यकता होगी कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर क्यों देना चाहिए।

(4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, जिस तारीख को निगम द्वारा राशि के भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया है उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर देय होगी और ऐसी अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में व्यक्ति की असफलता की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां व्यक्ति रहता है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किए गए आदेश या निदेश पर अधिरोपित किया जा सकेगा:

परंतु निगम या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय में किए गए आवेदन के अलावा कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया जाएगा।

(5) अदालत उपधारा (4) के अधीन जो आदेश या निर्देश देती है, वह व्यक्ति द्वारा देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगी और ऐसा प्रत्येक प्रमाण पत्र उसी तरीके से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत द्वारा एक सिविल मुकदमे में बनाई गई डिक्री हो।

(6) किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, जिसके संबंध में निगम द्वारा उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है।

(7) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो उस व्यक्ति पर उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

16	1962	58	भण्डारण निगम अधिनियम, 1962	धारा 38 का लोप कर दिया जाएगा।
17	1964	37	खाद्य निगम अधिनियम, 1964	धारा 41 का लोप कर दिया जाएगा।
18	1970	39	पेटेंट अधिनियम, 1970	(A) धारा 120 में, "वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर "वह शास्ति का दायी होगा जो दस लाख

रुपये तक हो सकती है, और जारी दावे के मामले में, पहले दिन के बाद हर दिन के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति, जिसके दौरान ऐसा दावा जारी रहता है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(B) धारा 121 का लोप कर दिया जाएगा।

(C) धारा 122 में,—

(i) उपधारा (1) में, लंबी लाइन के लिए, निम्नलिखित लंबी लाइन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"वह शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकती है, और लगातार इनकार या विफलता के मामले में, पहले दिन के बाद हर दिन के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति हो सकती है।";

(ii) उपधारा (2) में, "वह छह महीने तक की कारावास से दंडनीय होगा, या जुर्माना, या दोनों से", शब्दों के स्थान पर "वह यथास्थिति, कुल बिक्री या कारोबार के आधे प्रतिशत के बराबर राशि के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा या पेशे में सकल प्राप्तियों के रूप में ऐसे व्यक्ति के लेखा परीक्षित खातों में गणना की गई है, या पांच करोड़ रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(D) धारा 123 में, "वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पहले अपराध के मामले में एक लाख रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के मामले में पांच लाख रुपये तक बढ़ सकती है", शब्दों के स्थान पर "वह पांच लाख रुपये तक की शास्ति, और जारी चूक के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(E) धारा 124 के बाद, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"124A. शास्ति का न्यायनिर्णयन। -

नियंत्रक, एक आदेश द्वारा, धारा 73 में निर्दिष्ट एक अधिकारी को जांच करने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकता है।

124B. अपील- (1) जो कोई भी धारा 124A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह अपीलीय प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत कर सकती है; अपील कर सकेगा, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक पद ऊपर का अधिकारी होगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप और रीति से की जाएगी जो विहित की जा सकती है।

(3) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है तो अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(6) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि व्यक्ति धारा 124A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का, यथास्थिति, ऐसे आदेश के नब्बे दिन के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह, शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपए के जुर्माने या कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या दोनों के साथ, दंडनीय होगा।

(F) धारा 159 की उपधारा (2) में, खंड (xiii) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(xiiia) धारा 124A के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की विधि;

(xiiib) के लिए धारा 124B की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति;"।

(A) धारा 20 की उपधारा (3) में, "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" दंडनीय होंगे, शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए से कम की शास्ति के दायी नहीं होंगे या माल के मूल्य के दुगुने से अधिक नहीं होगी, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(B) धारा 23 में, शब्द "जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, "शास्ति से दंडित किया जा सकता है जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 24 और 25 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"24. प्राधिकरण के एक सदस्य अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और किताबें और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति। -कोई भी व्यक्ति जो-

(a) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य या इस निमित्त प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी

19 1972 13 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972

शक्ति का प्रयोग करने या अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकती है, या दोनों से, दंडनीय होगा;

(b) किसी भी खाता बही या अन्य रिकॉर्ड पर नियंत्रण या अभिरक्षा रखते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसा करने की आवश्यकता होने पर ऐसी किताब या रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

25. अन्य शास्तियां- जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, जो धारा 20, 23 और धारा 24 में उपबंधित उल्लंघन के प्रावधानों, दंड या शास्ति से भिन्न है, वह कम से कम दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा, लेकिन वह माल के मूल्य की राशि से अधिक नहीं होगा, यदि अधिक है, जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया है, और पूर्वोक्त के रूप में निरंतर उल्लंघन के मामले में, पचास हजार रुपये से कम का जुर्माना नहीं, या माल के मूल्य के दोगुने के बराबर राशि से अधिक नहीं, जो भी अधिक हो, जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया है।

25A. दंडों का न्यायनिर्णयन.- (1) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 24 के खंड (b) और धारा 25 के अधीन दंड का निर्णय करने के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष प्राधिकरण के सचिव या किसी को नियुक्त करेगा यथास्थिति, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विहित विधि से जांच करने और शास्ति लगाने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी होगा।

(2) जो कोई भी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, ऐसे प्रारूप और रीति से, जैसा विहित किया गया हो, अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है।

(3) यदि अपीलकर्ता अध्यक्ष का समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है, तो साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की राशि, यदि

				भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
				(D) धारा 33 की उपधारा (2) में, खंड (q) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-
				"(qa) धारा 25A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने की विधि;
				(qb) धारा 25A की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का रूप और तरीका;"।
20	1978	11	उच्च विमुद्रीकरण बैंक नोट्स (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978	निरसन।
21	1981	14	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981	(A) धारा 21 की उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "(1) जब तक कि इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के अनुसरण में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त न की गई हो, कोई भी व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं कर सकता: परंतु केंद्रीय सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के प्रावधानों के प्रयोग से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट दे सकती है। (B) धारा 21 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "21A। दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति। -(1) इस अधिनियम में किसी बात का समर्थन न करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से केन्द्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या संचालित करने के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, अस्वीकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जिसमें धारा 21 के तहत किए गए आवेदन के समयबद्ध निपटान के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की वैधता अवधि भी शामिल है। (2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा 21 के अधीन सहमति देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यों के निर्वहन में उपधारा (1) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। " (C) धारा 37 से 41 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- '37. धारा 22 के प्रावधानों या धारा 31A के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता। -(1) जो कभी धारा 22 के प्रावधानों या धारा 31A के अधीन जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन नहीं करता है, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति के

लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु इसे पंद्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वह हर दिन के लिए दस हजार रुपये के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

38. कुछ कृत्यों के लिए शास्ति। -(1) जो कोई भी-

(a) बोर्ड द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन भूमि में नियत किसी स्तंभ, खंभा या खूंटा या किसी सूचना या अन्य जानकारी को नष्ट, गिराता, हटाता, घायल करता या विरूपित करता है;

(b) बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को करने से रोकता है;

(c) बोर्ड के किसी भी कार्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है;

(d) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड या ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को देने में विफल रहता है;

(e) राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना की आशंका को राज्य बोर्ड और अन्य निर्धारित प्राधिकारियों या एजेंसियों को धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहता है;

(f) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली कोई भी जानकारी देने में विफल रहता है, ऐसा बयान देता है जिसका कोई भी भौतिक विवरण गलत है, शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन वह पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ सकती है।

(2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वह हर दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए दस हजार रुपये के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

38A. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जहां इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया है, विभाग का प्रमुख उसके एक महीने के भीतर मूल वेतन के बराबर शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या निर्देशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई भी उल्लंघन विभाग के प्रमुख के अलावा किसी भी अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण

होता है, अधिकारी अपने एक महीने के मूल वेतन के बराबर शास्ति का दायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित कर दे कि उसने इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो वह उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

39. इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति। -यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अधीन जारी किए गए किसी अधिनियम या आदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई शास्ति प्रदान नहीं की गई है, तो वह शास्ति का दायी होगा। जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन यह पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, वह अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, के लिए दस हजार रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

39A. न्यायनिर्णायक अधिकारी.- (1) केंद्र सरकार जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए, धारा 37, 38, 38A और धारा 39 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए:

परंतु केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुला सकता है या उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो। और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह जैसा उचित समझे, यथास्थिति धारा 37, 38, 38A या 39 के प्रावधानों के अधीन ऐसी शास्ति निर्धारित कर सकता है:

परंतु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(3) धारा 37, 38, 38A और 39 के प्रावधानों के अधीन अधिरोपित शास्ति की राशि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन सहायता या प्रतिकर देने के दायित्व के अतिरिक्त होगी।

39B. अपील.- (1) जो कोई भी धारा 37, 38, 38A या 39 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिस दिन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है उस तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रत्येक अपील दायर की जाएगी।

(3) अधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी जैसा वह उचित समझे, पुष्टि, संशोधन या रद्द करने के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, उस पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति अधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का दस प्रतिशत न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास जमा नहीं कर देता है।

39C. शास्ति राशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। - जहां कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी धारा 37, 38, 38A या 39 के अधीन, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है, ऐसी शास्ति की राशि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।

39D. धारा 21 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता और शास्ति देने में विफलता के लिए अपराध। - (1) जो कोई भी धारा 21 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, ऐसी प्रत्येक विफलता के संबंध में, एक वर्ष और छह महीने से कम की कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दोषसिद्धि के बाद ऐसी पहली विफलता के लिए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, जो प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विफलता दोषसिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहती है, तो अपराधी को कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और शास्ति लगाई जा सकती है।

(3) जब कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का भुगतान नब्बे दिनों के भीतर करने में विफल रहता है तो वह कारावास से दंडनीय होगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो लगाई गई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

(4) जब उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय सीधे प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय

के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, को दोषी माना जाएगा। साथ ही कंपनी को ऐसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

परंतु यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे तो इस उपधारा में निहित कुछ भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा।

(5) उपधारा (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जब किसी कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं तो ऐसे किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(a) "कंपनी" में निगमित निकाय, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी और व्यक्तियों का कोई अन्य संघ शामिल है;

(b) "निदेशक" में कंपनी के निदेशक, फर्म के भागीदार, सोसाइटी या ट्रस्ट के सदस्य या व्यक्तियों के किसी संघ के सदस्य, यथास्थिति, शामिल होते हैं।

(D) धारा 43 की उपधारा (1) में, खंड (a) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(aa) न्यायनिर्णायक अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी; या"।

(E) धारा 53 की उपधारा (1) में, खंड (g) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(h) धारा 39A की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति लगाने की विधि।"

धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"(2) यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, खाते या अन्य दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने, या कोई विवरण या जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पेश करना या देना उसका कर्तव्य है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक विफलता के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये तक बढ़ाई जा सकती है और यदि लगातार पहली विफलता के बाद विफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त शास्ति हर दिन के लिए सात हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

22 1981 61 कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 के लिए राष्ट्रीय बैंक

(3) उपधारा (2) के तहत शास्ति तय करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय बैंक उस व्यक्ति को नोटिस देगा, जिसमें उसे यह कारण बताने की आवश्यकता होगी कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि को शास्ति के रूप में क्यों अधिरोपित नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई के उचित अधिकार का अवसर क्यों दिया जाना चाहिए।

(4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई भी शास्ति, जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा राशि के भुगतान की मांग के लिए जारी नोटिस व्यक्ति को दिया जाता है उस तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर देय होगी, और विफलता की स्थिति में व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए, उस क्षेत्र, जहां वह व्यक्ति स्थित है उसमें अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रमुख सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर लगाया जा सकता है:

परंतु ऐसा कोई निर्देश राष्ट्रीय बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय में किए गए आवेदन के अलावा नहीं दिया जाएगा।

(5) जो न्यायालय उपधारा (4) के अधीन निर्देश देती है, वह व्यक्ति द्वारा देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगी और ऐसे प्रत्येक प्रमाण पत्र उसी तरीके से लागू किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय द्वारा सिविल सूट में की गई एक डिक्री हो।

(6) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है।

(7) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या चूक के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज की गई है, तो उस व्यक्ति पर उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

23 1986 10 मसाला बोर्ड अधिनियम,
1986

(A) धारा 26 में, शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से दंडनीय जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकती है", शब्द "शास्ति का दायी है जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकती है और बाद में विफलता के लिए, शास्ति जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(B) धारा 27 में, लंबे वाक्य में, शब्द "कारावास से दंडनीय जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ", शब्द "शास्ति का दायी जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और बाद में उल्लंघन के लिए जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(C) धारा 28 का लोप कर दिया जाएगा।

(D) धारा 29 में, "एक वर्ष तक की कारावास की सजा, या एक हजार रुपये तक की शास्ति, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "शास्ति का

दायी, जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और बाद में उल्लंघन के लिए जुर्माना एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(E) धारा 30 में, "कारावास के साथ दंडनीय जो छह महीने तक का हो सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों, और ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी यदि उल्लंघन जारी रहता है तो एक अतिरिक्त जुर्माने के साथ निरंतर उल्लंघन के मामले में हर दिन के लिए पचास रुपये तक जुर्माना बढ़ सकता है", शब्दों के लिए, शब्द "शास्ति का दायी जो पचास हजार रुपए तक का हो सकता है और बाद में उल्लंघन शास्ति, जो एक लाख रुपए तक का हो सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(F) धारा 30 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"30A। शास्तियों का न्यायनिर्णयन। -(1) किसी भी संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, धारा 26, 27, 29 और धारा 30 के अधीन शास्तियों का निर्णय करने के लिये, बोर्ड का सचिव यथास्थिति, बोर्ड में निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जांच करने और ऐसी रीति से, शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) जो कोई भी निर्णायक अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप और रीति से, बोर्ड के सचिव को अपील कर सकता है।

(3) यदि अपीलकर्ता बोर्ड के सचिव का यह समाधान करता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है, तो साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा दाखिल होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(G) धारा 38 की उपधारा (2) में, खंड (m) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ma) धारा 30A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति लगाने की विधि;

24	1986	29	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	(mb) धारा 30A की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति;"। (A) धारा 2 में, खंड (c) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- '(ca) "कोष" का अर्थ धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष है;"। (B) धारा 10 में, उपधारा (2) से (4) के लिए, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:- "(2) किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने के किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उपधारा के अधीन कार्य को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि आवश्यक हो। और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह धारा 14B के अधीन शास्ति का दायी होगा। (3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या (2) के अधीन अपने कार्य के प्रदर्शन में उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर देरी करवाता है या बाधा डालता है, तो वह धारा 14B के अधीन शास्ति का दायी होगा। (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं। (C) धारा 14 के बाद, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- "14A। धारा 7 या धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 7 या धारा 8 के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन इसे पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। (2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वह प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, के लिए पचास हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा। 14B. धारा 9, 10 और 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 या धारा 11 के प्रावधानों या उन धाराओं के अधीन जारी किए गए आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन नहीं करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये से कम की शास्ति का दायी नहीं होगा लेकिन इसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
----	------	----	-------------------------------------	--

(2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, तो वह हर दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

(D) धारा 15 से 17 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'15. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन नहीं करता है, जिसके लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाती है तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगी लेकिन इसे पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, तो वह हर दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, के लिए दस हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

15A. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जब कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है, कंपनी ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति की दायी होगी जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगी लेकिन यह पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ सकती है। .

(2) जब कोई भी कंपनी उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखती है, कंपनी हर दिन, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी।

15B. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जब इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया है, विभाग प्रमुख उसके मूल वेतन के एक महीने के बराबर शास्ति का दायी होगा: परंतु, यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या निर्देशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई भी उल्लंघन विभाग के प्रमुख के अलावा किसी भी अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण होता है तो अधिकारी अपने मूल वेतन के एक महीने की बराबर शास्ति का दायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित कर दे कि उसने इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे तो वह उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15C. न्यायनिर्णायक अधिकारी.- (1) केंद्र सरकार, इस अधिनियम

के अधीन दंड का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के एक अधिकारी को जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

परंतु केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी-

(a) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने या उनका अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाले या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है;

(b) ऐसे व्यक्ति से उसके कब्जे में मौजूद किसी रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद; और यदि, ऐसी जांच पर, वह संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या उनका अनुपालन नहीं किया है, तो वह धारा 14A, 14B, 15, 15A या धारा 15B, के प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, जो वह उचित समझे वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का निर्णय करते समय, निम्नलिखित का उचित ध्यान रखेगा, अर्थात:-

(a) ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाली आबादी और क्षेत्र;

(b) ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन की आवृत्ति और अवधि;

(c) ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के वर्ग की भेद्यता;

(d) ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति को हुई या होने की संभावना वाली क्षति, यदि हुई हो;

(e) ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन से प्राप्त अनुचित लाभ; और

(f) ऐसा अन्य कारक, जो विहित किया जा सकता है।

(5) धारा 14A, 14B, 15, 15A या 15B के प्रावधानों के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति की राशि के अतिरिक्त, यथास्थिति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन सहायता या मुआवजा देना होगा।

15D. अपील.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है।

(3) अधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसकी पुष्टि, संशोधन या रद्द करने के लिए जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ अपील की जाती है तो ऐसी अपील पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति की राशि पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण के पास दस प्रतिशत जमा नहीं किया हो।

15E. शास्ति की राशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। - जब कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति, यथास्थिति, धारा 14A, 14B, 15, 15A या धारा 158 के अधीन अधिरोपित की जाती है तो धारा 16 के अंतर्गत शास्ति की राशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।

15F. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति देने में विफलता का अपराध। - (1) जब कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति देने में विफल रहता है। धारा 14A, 14B, 15, 15A या धारा 15B लगाए जाने के नब्बे दिनों के भीतर, वह कारावास के लिए उत्तरदायी होगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या शास्ति जो जुर्माने की राशि से दोगुने तक बढ़ाई जा सकती है या दोनों के साथ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार कार्यवाही और दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किए थे तो इस उपधारा में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को उपधारा (1) में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी।

(3) उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जब एक कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित हो जाता है कि

अपराध किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या किसी भी निदेशक की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(a) "कंपनी" में निगमित निकाय, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी और व्यक्तियों का कोई अन्य संघ शामिल है;

(b) "निदेशक" में कंपनी के निदेशक, फर्म के भागीदार, सोसाइटी या ट्रस्ट के सदस्य या व्यक्तियों के किसी संघ के सदस्य, यथास्थिति, शामिल हैं।

(E) अध्याय III के बाद, निम्नलिखित अध्याय अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"अध्याय IIIA

कोष, खाते और लेखापरीक्षा

16. पर्यावरण संरक्षण कोष.- (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक कोष स्थापित कर सकती है जिसे पर्यावरण संरक्षण कोष कहा जाता है।

(2) कोष में जमा किया जाएगा-

(a) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति की राशि;

(b) निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और

(c) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जैसा विहित किया जा सकता है।

(3) निधि के लिए आवेदन किया जाएगा-

(a) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना;

(b) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों को प्राप्त करने और उद्देश्यों के लिए व्यय;

(c) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो विहित किए जा सकते हैं।

(4) केंद्र सरकार कोष के प्रशासन और उससे जुड़े तथा उसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए प्रशासक को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगी, जो विहित की जाए।

(5) केंद्र सरकार 75 प्रतिशत आवंटित करेगी। राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को शास्तियों की राशि, जिसे कोष में जमा

किया गया है।

16A. कोष के खाते और लेखापरीक्षा.- (1) केंद्र सरकार, पर्यावरण संरक्षण कोष के संबंध में अलग लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से तैयार करेगी।

(2) कोष के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे लेखापरीक्षित खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सालाना केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

16B. वार्षिक रिपोर्ट.- केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण कोष के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विहित किया जा सकता है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।"

(F) धारा 19 में, खंड (a) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(aa) न्यायनिर्णायक अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी;"।

(G) धारा 24 के लिए, निम्नलिखित अनुभाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"24. अन्य कानूनों का प्रभाव.- इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों का प्रभाव उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात से नहीं होगा।"

(H) धारा 25 की उपधारा (2) में, खंड (g) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ga) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति लगाने का तरीका और धारा 15C की उपधारा (4) के खंड (f) के अधीन शास्ति की मात्रा विहित करने के लिए अन्य कारक;

(gb) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (c) के अधीन अन्य राशि;

(gc) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (c) के अधीन अन्य उद्देश्य;

(gd) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन का तरीका;

(ge) धारा 16A की उपधारा (1) के अधीन निधि के खातों के रख-रखाव और खातों का वार्षिक विवरण तैयार करने के लिए फॉर्म;

(gf) धारा 16B के अधीन निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए फॉर्म;"।

25	1987	53	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987	(A) धारा 33B के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:- "33C. लेखा परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति। -जब कोई लेखा परीक्षक धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो रिज़र्व बैंक, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, लेखापरीक्षक को एक समय में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के लेखापरीक्षक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने से हटा या रोक सकता है। (B) धारा 49 में,- (i) उपधारा (2) और (2B) का लोप कर दिया जाएगा; (ii) उपधारा (3) में खंड (aa) का लोप कर दिया जाएगा; (iii) उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा। (C) धारा 52A, — (I) शब्द "जुर्माना" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (II) उपधारा (1) में,- (i) खंड (a) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, "पच्चीस हजार" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) खंड (b) में,- (a) शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (aa)" का लोप कर दिया जाएगा; (b) शब्द "पांच लाख" के स्थान पर "दस लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (c) शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर "एक लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (III) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- "(1A) यदि कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान जो एक कंपनी है, कोई पुस्तक, खाता या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई विवरण या जानकारी देने में विफल रहता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है या आवास वित्त संस्थान को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिज़र्व बैंक, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर प्रत्येक उल्लंघन या चूक के संबंध में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक की शास्ति नहीं अधिरोपित कर सकता है और जब ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है तो अतिरिक्त शास्ति जो पहले के बाद हर दिन के
----	------	----	-----------------------------------	--

लिए, जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है सात हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

(1B) यदि कोई लेखा परीक्षक धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निर्देश या दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति पर दस लाख रुपये तक की शास्ति लगा सकता है।

(1C) यदि कोई व्यक्ति (लेखा परीक्षक के अलावा) या आवास वित्त संस्थान, जो एक कंपनी है, अध्याय V के किसी भी प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर ऐसे उल्लंघन या चूक में दस लाख रुपए की शास्ति या शामिल राशि की दुगुनी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जहां राशि परिमाणनीय है, जो भी अधिक हो; और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी है, वहां आगे जुर्माना जो पहले के बाद, हर दिन, जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ सकती है।

(1D) यदि इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या यदि इस अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता, या किसी आदेश, विनियमन या दिए गए निर्देश या उसके अधीन लगाई गई शर्तों के अनुपालन में कोई चूक की जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, यथास्थिति, ऐसे उल्लंघन या चूक के दोषी किसी भी व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो एक कंपनी है, ऐसे उल्लंघन या चूक का दोषी पाए जाने पर, प्रत्येक उल्लंघन या चूक के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा जो पहले उल्लंघन या चूक के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा, जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है।"

(IV) उपधारा (2) में,-

(i) "उपधारा (1)" के स्थान पर, "यह धारा" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दोनों स्थानों पर जहां, "आवास वित्त संस्थान" शब्द आते हैं, वहां उनके स्थान पर "व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(V) उपधारा (3) में,-

(i) "आवास वित्त संस्थान को दी गई सेवा" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान को दी गई सेवा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

				(ii) "ऐसे आवास वित्त संस्थान की विफलता" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान की विफलता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
				(iii) "वह क्षेत्र जहां पंजीकृत कार्यालय" शब्दों के स्थान पर "वह क्षेत्र जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से निवास करता है या, यथास्थिति, पंजीकृत कार्यालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
				(VI) उपधारा (4) में, शब्द "द्वारा देय" के बाद, "व्यक्ति या" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।
26	1988	59	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	(A) धारा 192A की उपधारा (1) में,- (i) "और दस हजार रुपये का जुर्माना" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) प्रावधानों का लोप कर दिया जाएगा। (B) धारा 200 में, उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "(1) कोई भी अपराध, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया गया हो, धारा 177, धारा 177A, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 182A की उपधारा (4), धारा 182B, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (c), धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192A, धारा 192B की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194A, धारा 194B, धारा 194C, धारा 194D, धारा 194E, धारा 194F, धारा 196, धारा 198 और धारा 201, अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में, ऐसे अधिकारियों या अधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए संयोजित की जा सकती है, जो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। (C) धारा 215 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रावधान अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "परंतु जहां किसी राज्य सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया है, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले के लिए एक समिति का गठन कर सकती है, जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें वह आवश्यक समझती है और इस पर नियम एवं शर्तें जैसा कि वह अवधारित कर सकता है।"
27	1989	24	रेलवे अधिनियम, 1989	धारा 144 में, उपधारा (2) के लिए निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "(2) किसी भी व्यक्ति को किसी रेलगाड़ी में या रेलवे के किसी हिस्से में भीख

28	1991	6	लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (A) धारा 2 में,- (i) खंड (ha) को उसके खंड (hb) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (ha) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- '(ha) "संपत्ति" में कोई निजी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति शामिल है जो किसी इकाई या उद्यम द्वारा खतरनाक पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, रूपांतरण, हस्तांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुई हो;' (ii) खंड (j) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "(k) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।" (B) धारा 3 में, उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:- "(1) जब किसी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट (कर्मचारी के अलावा) या किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो मालिक ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने, या ऐसी अन्य सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निम्नलिखित के लिए विहित की जा सकती है,- (a) गंभीर दुर्घटना के कारण मृत्यु; (b) पूर्ण या आंशिक विकलांगता के कारण होने वाले चिकित्सा व्यय; (c) आंशिक विकलांगता के कारण मजदूरी की हानि; (d) अन्य चोट या बीमारी; (e) निजी संपत्ति को नुकसान; या (f) ऐसी अन्य हानि या क्षति, जो विहित की जा सकती है।" (C) धारा 4 में,- (a) उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- "(1) किसी भी उद्यम का प्रत्येक मालिक, किसी भी खतरनाक पदार्थ का रख-रखाव शुरू करने से पहले, ऐसे उद्यम या बीमा के
----	------	---	--------------------------------	---

अनुबंध प्रदान करने वाली इकाई के लिए एक या अधिक बीमा पॉलिसियां लेगा, जिसके द्वारा उसे ऐसी सहायता करने या धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने के दायित्व के लिए बीमा किया जाता है।

स्पष्टीकरण। - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी उद्यम को इसके अधीन संचालित करने के लिए अलग-अलग सहमति है-

(i) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); और

(ii) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा: परंतु कोई भी मालिक तुरंत पहले किसी खतरनाक पदार्थ का रख-रखाव, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने पर ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियां यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में उस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर निरसित कर दी जाएंगी।";

(b) उपधारा (2A) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(2A) किसी उद्यम या इकाई के लिए मालिक द्वारा ली गई या नवीनीकृत की गई बीमा पॉलिसी एक ऐसी राशि के लिए होगी जो उस उद्यम या इकाई की चुकता पूंजी की राशि से कम नहीं होगी जो उस मालिक के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी खतरनाक पदार्थ का रख-रखाव करने वाली इकाई है और ऐसी राशि तक विस्तारित हो सकती है जो निर्धारित की जा सकती है लेकिन पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "भुगतान की गई पूंजी", एक कंपनी के मालिक नहीं होने के संबंध में, बीमा के अनुबंध की तिथि पर उद्यम की सभी संपत्तियों और स्टॉक का बाजार मूल्य है।'

(D) धारा 6 में, उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(1A) जब ऐसे खतरनाक पदार्थ के निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, स्थानांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण किसी सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो संपत्ति के मालिक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा संपत्ति की बहाली के लिए दावे हेतु आवेदन कलेक्टर को किया जा सकेगा।"

(E) धारा 7 में, उपधारा (8) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(9) जब ऐसे खतरनाक पदार्थ के निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, स्थानांतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित या क्षतिग्रस्त होता है तो केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर, इस प्रकार हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए पर्यावरण राहत निधि से, विहित तरीके से निधि आवंटित कर सकेगी।"

(F) धारा 7A में, उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(1A) उपधारा (1) के अधीन स्थापित राहत कोष में जमा किया जाएगा-

- (a) धारा 4 की उपधारा (2C) में निर्दिष्ट राशि;
- (b) इस अधिनियम के अधीन लगाई गई शास्ति की राशि;
- (c) निधि से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और
- (d) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य राशि, जो विहित की जा सकती है।

(G) धारा 14 और 15 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"14. उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जब कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2A) या उपधारा (2C) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह बीमा पॉलिसी के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि के बराबर शास्ति का दायी होगा और इस तरह की प्रीमियम राशि से दोगुने तक हो सकती है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रहता है तो वहां न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, जो उल्लंघन जारी रहने के प्रत्येक महीने या उसके हिस्से के लिए भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि से अधिक नहीं होगी।

15. निर्देशों का अनुपालन न करने पर शास्ति। -(1) जब कोई व्यक्ति धारा 12 के अधीन जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, वह दस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा जिसे पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन गैर-अनुपालन जारी रखता है तो वह न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए जाने वाली अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो हर दिन, जो ऐसे गैर-अनुपालन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(3) जब कोई मालिक धारा 9 के अधीन जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है या धारा 10 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (1), (2)

या (3) के अधीन किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, तो वह दस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा लेकिन इसे पंद्रह लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(4) जब कोई भी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गैर-अनुपालन जारी रखता है तो वह हर दिन, जिसके दौरान ऐसा गैर-अनुपालन जारी रहता है, के लिए दस हजार रुपये की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

15A. न्यायनिर्णायक अधिकारी- (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या 15 के अधीन शास्तियों की अवधारण के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या भारत सरकार के निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को जांच करने और रीति से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी:

परंतु केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकेगा और उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकेगा, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है और यदि ऐसी जांच पर उसका समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो धारा 4 और धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (2A) या उपधारा (2C) के मामले में, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह धारा 14 और धारा 15 के उपबंधों के अधीन ठीक समझे:

परंतु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

15B. अपील.- (1) जो कोई भी धारा 15A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को प्राप्त होती है।

(3) अधिकरण, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसकी पुष्टि, संशोधन या रद्द करने के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी

आदेश के खिलाफ अपील की जाती है तो ऐसी अपील पर न्यायाधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति की राशि का दस प्रतिशत जमा नहीं करा दिया हो।

(H) धारा 16 का लोप कर दिया जाएगा।

(I) धारा 17 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

'17. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति। - (1) जब इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किया गया है तो विभाग का प्रमुख अपने मूल वेतन के एक महीने के बराबर शास्ति का दायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या निर्देशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई भी उल्लंघन विभाग के प्रमुख के अलावा किसी भी अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण होता है तो वह अपने मूल वेतन के एक महीने के बराबर शास्ति का दायी होगा:

परंतु, यदि वह साबित कर दे कि उसने इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो वह उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17A. शास्ति की राशि पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी। - जब कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति, यथास्थिति, धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन लगाई जाती है तो ऐसी शास्ति की राशि धारा 7A के अधीन स्थापित पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी।

17B. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति देने में विफलता के लिए अपराध.- (1) जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित के लिए अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने में विफल रहता है तो-

(a) धारा 14 या 17 के अधीन उल्लंघन या निरंतर उल्लंघन, यथास्थिति; या

(b) धारा 15 के अधीन जारी निर्देशों का पालन न करने पर, ऐसे लगाए जाने के नब्बे दिनों के भीतर, वह तीन साल तक की कारावास के लिए उत्तरदायी होगा या जुर्माना जो पंद्रह लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को ऐसे

अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा: परंतु, यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे तो इस उपधारा में निहित कुछ भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी।

(3) उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या किसी भी उपेक्षा के कारण किया गया है तो कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(a) "कंपनी" का अर्थ किसी भी निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों के शामिल अन्य संघ से है;

(b) "निदेशक" में कंपनी के निदेशक और फर्म के संबंध में, फर्म में एक भागीदार शामिल है।

(J) धारा 23 की उपधारा (2) में,-

(i) खंड (a) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(a) धारा 4 की उपधारा (2A) के अधीन ऐसी राशि;"

(ii) खंड (e) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ea) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राशि या सहायता और कोई अन्य हानि या क्षति;

(eb) धारा 6 की उपधारा (1A) के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति;

(ec) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन क्षति की बहाली के लिए निधि के आवंटन की विधि;

(ed) धारा 7A की उपधारा (1A) के खंड (d) के तहत अन्य स्रोतों से कोई अन्य राशि;

(ee) धारा 15A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की विधि;"।

(K) अनुसूची निरसित कर दी जाएगी।

(विनियमन) अधिनियम,
1995

किया जाएगा, अर्थात:-

"अध्याय IV

शास्तियां

16. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति। -(1) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,-

(a) पहले उल्लंघन के लिए सलाह, निंदा, चेतावनी या शास्ति जो बीस हजार रुपये तक हो सकती है, या दोनों;

(b) तीन साल की अवधि के भीतर प्रत्येक बाद के उल्लंघन के लिए, सलाह, निंदा, चेतावनी या शास्ति जो एक लाख रुपये तक हो सकती है, या दोनों,
ऐसे नामित अधिकारी द्वारा, जैसा विहित किया जा सकता है।

(2) नामित अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकता है:

परंतु तीन साल की अवधि में तीन से अधिक उल्लंघनों के मामलों में, नामित अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति के अलावा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा दिए गए पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है:

परंतु इस उपधारा के अधीन नामित अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा।

(3) जो कोई भी उपधारा (2) के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित है, वह भारत सरकार के सचिव या उनके द्वारा अधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को अपील कर सकता है:

परंतु ऐसी कोई अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के बाद स्वीकार्य नहीं होगी:

परंतु, यदि अपीलकर्ता उसका समाधान कर देता है कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का कोई उचित कारण था तो तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार किया जा सकता है।

(B) धारा 22 की उपधारा (2) में, खंड (da) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(db) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नामित अधिकारी;"।

(A) धारा 106 का लोप कर दिया जाएगा।

(B) धारा 107 की उपधारा (2) में, "एक अवधि में तीन साल तक के कारावास से दंडनीय, या जुर्माना, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, कुल बिक्री या कारोबार में कारोबार या पेशे में सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि की शास्ति का दायी, जैसा

30 1999 47 व्यापार चिह्न अधिनियम,
1999

कि ऐसे व्यक्ति के लेखा परीक्षित खातों में गणना की जाती है, या पांच लाख रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 108 और 109 हटा दी जाएंगी।

(D) धारा 112 के बाद, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"112A. शास्तियों का न्यायनिर्णयन। -रजिस्ट्रार, एक आदेश द्वारा, धारा 3 में निर्दिष्ट एक अधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए विहित तरीके से न्यायनिर्णायक अधिकारी बनने के लिए अधिकृत कर सकता है।

112B. अपील.- (1) जो कोई भी धारा 112A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत कर सकती है अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पद ऊपर का अधिकारी होगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप और रीति से की जाएगी जो विहित की जा सकती है।

(3) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी स्वीकार की जा सकती है।

(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(6) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि व्यक्ति धारा 112A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का यथास्थिति नब्बे दिनों के भीतर पालन करने में विफल रहता है तो वह शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपये की शास्ति या एक वर्ष तक के कारावास, या दोनों से दंडनीय होगा।

(E) धारा 140 में, उपधारा (3) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(3) आयातक या उसका एजेंट, चौदह दिनों के भीतर, उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन करेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वह दस हजार रुपये की शास्ति का दायी होगा:

				परंतु इस धारा के अधीन शास्ति इस उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा लगाई और वसूल की जाएगी।"
				(F) धारा 157 की उपधारा (2) में, खंड (xxxiii) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-
				"(xxxiiia) धारा 112A के अधीन जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका;
				(xxxiiib) धारा 112B की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति; ".
31	1999	48	वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	(A) धारा 37 के बाद, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-
				"37A. शास्तियों का न्यायनिर्णयन। -रजिस्ट्रार, एक आदेश द्वारा, धारा 3 में निर्दिष्ट एक अधिकारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए विहित तरीके से न्यायनिर्णायक अधिकारी बनने के लिए अधिकृत कर सकता है।
				37B, अपील.- (1) जो कोई भी धारा 37A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत कर सकती है, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी से कम से कम एक पद ऊपर का अधिकारी होगा।
				(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप और रीति से की जाएगी जो विहित की जा सकती है।
				(3) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है।
				(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।
				(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।
				(6) इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि व्यक्ति धारा 37A के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का यथास्थिति, नब्बे दिनों के भीतर पालन करने में विफल रहता है तो वह शास्ति के अलावा, एक लाख रुपये के जुर्माना या एक वर्ष तक के कारावास, या दोनों से दंडनीय होगा।
				(B) धारा 42 की उपधारा (2) में, "एक अवधि में तीन वर्ष तक की

कारावास से दंडनीय, या जुर्माना, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, व्यवसाय में कुल बिक्री या टर्नओवर के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या ऐसे व्यक्ति के परीक्षित लेखों में गणना की गई पेशे में सकल प्राप्तियों के बराबर राशि या पांच लाख रुपये के बराबर राशि, जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा।" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 43 और 44 का लोप कर दिया जाएगा।

(D) धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (o) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(oa) धारा 37A के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की विधि;

(ob) धारा 37B की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति;"।

32 2000 21 सूचना प्रौद्योगिकी
अधिनियम, 2000

(A) धारा 33 की उपधारा (2) में, "छह महीने तक का कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या दोनों" शब्दों के स्थान पर, "5 लाख रुपए तक की शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(B) धारा 44 में,-

(i) खंड (a) में, "एक लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पंद्रह लाख" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (b) में, "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (c) में, "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(C) धारा 45 में,-

(i) "नियम या विनियम" शब्दों के स्थान पर "नियम, विनियम, निर्देश या आदेश" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को पच्चीस हजार रुपये तक का मुआवजा या पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-
"एक लाख रुपये तक की शास्ति, इसके अलावा ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा-

(a) किसी मध्यस्थ, कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय द्वारा दस लाख रुपए; या

(b) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपए।

(D) धारा 46 में,-

(i) उपधारा (1) में, "इस अध्याय के अधीन" शब्दों के स्थान पर,

"इस अधिनियम के अधीन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1A) में, "चोट या" शब्द दोनों स्थानों पर जहां वे मौजूद हैं, हटा दिए जाएंगे।

(E) धारा 66A का लोप कर दिया जाएगा।

(F) धारा 67C की उपधारा (2) में, "एक अवधि में तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और शास्ति भी", शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपए तक की शास्ति का दायी होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(G) धारा 68 की उपधारा (2) में, "दोषी ठहराए जाने पर एक अवधि में दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों", शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपए तक की शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(H) धारा 69B की उपधारा (4) में, "तीन वर्ष और जुर्माना भी लगाया जाएगा", शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष या जुर्माना लगाया जाएगा जो एक करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(I) धारा 70B की उपधारा (7) में, शब्द "एक लाख" के स्थान पर, "एक करोड़" अंतः स्थापित किए जाएंगे।

(J) धारा 72 में, "दो वर्ष तक की अवधि के कारावास से, या एक लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से, दंड का भागी होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(K) धारा 72A में,-

(1) सीमांत शीर्षक में, शब्द "दंड" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष तक की कारावास की सजा, या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है", शब्दों के स्थान पर "पच्चीस लाख रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

33 2002 60 मेट्रो रेलवे (संचालन और
रखरखाव) अधिनियम,
2002

(A) धारा 6 की उपधारा (2) में, खंड (g) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ga) इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित और एकत्र करना;"।

(B) धारा 59 की उपधारा (2) में,-

(i) "दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपये तक की शास्ति का दायी" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 63 में, "किसी भी मेट्रो रेलवे अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद, वह एक अवधि में एक महीने तक के कारावास, या पचास रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर "वह पांच हजार रुपये तक की शास्ति का दायी होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(D) धारा 65 में, "पांच वर्ष तक के कारावास या छह हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष तक की कारावास या तीस हजार रुपए तक का जुर्माना" या दोनों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(E) धारा 69 में, उपधारा (4) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(4) यदि कोई यात्री, जो उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार और किराया, या उपधारा (2) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार और किराए के किसी अंतर का भुगतान करने के लिए दायी है, मांग किए जाने पर उसका भुगतान करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो इस संबंध में मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई मेट्रो रेल अधिकारी, यथास्थिति, किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को देय राशि की वसूली के लिए आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो।"

(F) धारा 70 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"70. किसी ट्रेन में संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना। -यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति बिना उचित और पर्याप्त कारण के मेट्रो रेलवे में यात्रियों के बीच संचार के लिए मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी साधन का उपयोग करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है और मेट्रो रेलवे का प्रभारी मेट्रो रेलवे अधिकारी या मेट्रो रेलवे के अलार्म घंटी या आपातकालीन स्टॉप पुश या आपातकालीन यात्रा प्रणाली या आपातकालीन कॉल प्वाइंट का दुरुपयोग करता है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकती है।

खंड 1]

(G) धारा 80 का लोप कर दिया जाएगा।

(H) धारा 82 की उपधारा (1) में, "धारा 65 से 79" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 65 से 68, 71 से 79" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुसूची में, भाग में-

(i) पैरा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया

				जाएगा, अर्थात:-
				"पैरा 21
				व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अपराध
				(1999 का 47)
				धारा
				अपराध का वर्णन
				गलत व्यापार चिह्न, व्यापार विवरण आदि लगाने पर शास्ति।
				सामान बेचने या सेवाएं प्रदान करने के लिए जुर्माना, जिस पर गलत
				व्यापार चिह्न या गलत व्यापार विवरण लागू किया जाता है।
				दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर बढ़ी हुई शास्ति।
				भारत से बाहर किए गए कृत्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण की सजा। ";
				(ii) पैरा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया
				जाएगा, अर्थात:-
				"पैरा 22
				सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध
				(2000 का 21)
				धारा
				अपराध का वर्णन
				भारत के बाहर किए गए अपराध या उल्लंघन के लिए लागू होने वाला
				अधिनियम। "
				(iii) पैरा 25 का लोप कर दिया जाएगा;
				(iv) पैरा 27 का लोप कर दिया जाएगा।
35	2006	34	खाद्य सुरक्षा और मानक	(A) धारा 59 के खंड (i) में, "एक अवधि में छह महीने तक की
			अधिनियम, 2006	कारावास और जुर्माना भी जो एक लाख रुपये तक हो सकता है" शब्दों
				के स्थान पर, "एक अवधि में तीन महीने तक का कारावास और
				जुर्माना भी जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित
				किए जाएंगे।
				(B) धारा 61 में,-
				(i) "दंड" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
				(ii) "तीन महीने तक की कारावास की सजा और दो लाख रुपये तक
				का जुर्माना हो सकता है" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपये तक की
				शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
				(C) धारा 63 में,-
				(i) "दंड" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
				(ii) " एक अवधि में छह महीने तक की कारावास से दंडनीय और
				पांच लाख रुपये तक का जुर्माना" शब्दों के स्थान पर "दस लाख रुपये
				तक की शास्ति का दायी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
36	2006	38	सरकारी प्रतिभूति	धारा 30 में,-
			अधिनियम, 2006	(i) उपधारा (1) में, "वह छह महीने तक की कैद या जुर्माने या दोनों

से दंडनीय होगा", शब्दों के स्थान पर "बैंक पांच लाख रुपए तक या ऐसे उल्लंघन में शामिल रकम की दुगुनी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जहां राशि परिमाणनीय है, इनमें से जो भी अधिक हो, और जहां इस तरह का उल्लंघन जारी रहता है, एक और शास्ति के साथ, जो पहले दिन के बाद हर दिन, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है के लिए पांच हजार रुपये तक हो सकती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

37 2006 41 छावनी अधिनियम, 2006

(A) धारा 156 का लोप कर दिया जाएगा।

(B) धारा 185 की उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(1) छावनी में बोर्ड के अधीन किसी भी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति, किसी अनुबंध के अभाव में, उचित कारण के बिना इस्तीफा नहीं देगा या उचित प्राधिकार के बिना इयूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे इस्तीफे या कर्तव्य से अनुपस्थिति के मामले में, उसके खिलाफ ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी जो विहित की जा सकती है।

खंड 1]

(C) धारा 286 का लोप कर दिया जाएगा।

(D) धारा 287 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"287. धारा 285 के अधीन अपराधों के लिए व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चीजों की जब्ती और अधिहरण। - (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पुलिस अधिकारी या उत्पाद शुल्क अधिकारी, बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश, और वारंट के बिना, धारा 285 के अधीन अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और किसी भी स्परिट शराब या नशीले पदार्थ को और किसी भी बर्तन या कवरिंग जिसमें शराब या दवा होगी, जब्त कर सकता है और हिरासत में ले सकता है जिसके संबंध में धारा 285 के तहत अपराध किया गया है।

(2) जब धारा 285 के अधीन अपराध के आरोपी व्यक्ति को पहले उस धारा के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति से, किसी भी मादक शराब को जब्त और हिरासत में ले सकता है या छावनी के भीतर या उस धारा के अधीन परिभाषित किसी भी सीमा के भीतर नशीली दवा, जो बाद के अपराध के कथित कमीशन के समय, ऐसे व्यक्ति की थी, या उसके कब्जे में थी।

(3) धारा 285 के अधीन किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराने वाली अदालत उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जब्त की गई किसी भी चीज़ को पूरी तरह या उसके किसी हिस्से को जब्त करने का आदेश दे सकता है।

(4) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXXIV के प्रावधानों के अधीन, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जब्त किया गया और उपधारा (3) के अधीन जब्त नहीं की जाएगी और उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिससे वह ली गई थी।"

(E) धारा 289 में, उपधारा (5) का लोप कर दिया जाएगा।

[भाग II—

(F) प्रावधानों में, धारा 314 के खंड (a) में, "अनुसूची IV के भाग B में निर्दिष्ट किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में" शब्द, अक्षर और अंक हटा दिए जाएंगे।

(G) अनुसूची 1V के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"अनुसूची IV
(धारा 314 देखें)

धारा	विषय
183(1)	अस्पताल या औषधालय में उपस्थित न होने के कारण निष्कासन की सूचना के बाद छावनी में बने रहना या पुनः प्रवेश करना।
296	बंदूक आदि हथियार, जिनसे खतरा हो सकता है।
300	आवारागर्दी करना या यौन अनैतिकता के लिए आयात करना।
304(a)	निष्कासन की सूचना के बाद छावनी में रहना या वापस लौटना।

38 2007 51 भुगतान और निपटान
प्रणाली अधिनियम, 2007

(A) धारा 26 में,-

(i) उपधारा (3) में, "जुर्माने से दंडनीय जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपये तक का हो सकता है और यदि वह इस तरह के इनकार पर कायम रहता है, तो एक अतिरिक्त जुर्माना, हर दिन के लिए जिसके लिए अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है", "धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति का दायी" शब्दों और अंकों में प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) में, "जुर्माने से दंडनीय जो दस लाख रुपये तक हो सकता है और जहां उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो पहले दिन के बाद पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है", शब्दों के स्थान पर "धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का दायी" शब्दों और अंकों में प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(B) धारा 30 में,-

(a) "जुर्माने" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(b) उपधारा (1) में-

39 2009 7 सांख्यिकीय संग्रहण
अधिनियम, 2008

(i) "उपधारा (2)" के स्थान पर "या उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) शब्द "पांच लाख" के स्थान पर "दस लाख" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(A) धारा 9 की उपधारा (2) और (3) में, शब्द "अभियोजन" के स्थान पर, "शास्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(B) अध्याय 1V के लिए, निम्नलिखित अध्याय प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"अध्याय IV

शास्ति और न्यायनिर्णयन

15. विवरण और अन्य उल्लंघनों की आपूर्ति करने में उपेक्षा या इनकार करने के लिए शास्ति- (1) जो कोई भी लेखा, वाउचर, दस्तावेज या अन्य व्यावसायिक अभिलेखों की कोई भी पुस्तक, वाउचर, दस्तावेज या अन्य व्यावसायिक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जो किसी भी सूचना अनुसूची या रिटर्न में आवश्यक विवरणों को भरने और आपूर्ति करने की उपेक्षा करता है या इनकार करता है या जो उसे संबोधित किसी भी प्रश्न या जांच का उत्तर देने से इनकार करता है जैसा कि उसके अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है इस अधिनियम का कोई प्रावधान या जो कोई भी उल्लंघन में कार्य करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या इस अधिनियम के अधीन लगाए गए किसी भी आवश्यकता के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, वह शास्ति का दायी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकती है, और किसी कंपनी के मामले में, शास्ति एक लाख रुपये तक हो सकती है।

(2) किसी व्यक्ति या कंपनी पर शास्ति का अधिरोपण उसे उपधारा (1) के अधीन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा और यदि शास्ति अधिरोपित होने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति के पश्चात भी वह अपेक्षित विवरण देने में असफल रहता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के किसी उपबंध की उपेक्षा या अस्वीकृति या उल्लंघन करता रहता है तो अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकती है, और एक कंपनी के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उपेक्षा, इनकार या उल्लंघन जारी रहता है एक अतिरिक्त शास्ति जो पांच हजार रुपये तक हो सकती है।

15A. एक न्यायनिर्णायक अधिकारी - (1) उपयुक्त सरकार, धारा 15 के अधीन दंड का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, जैसा वह उचित समझे, एक अधिकारी को जांच करने और उस तरीके से शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में

नियुक्त कर सकती है।

परंतु उपयुक्त सरकार आवश्यकतानुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच पर उसका समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहा है तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है:

परंतु संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

15B. अपील.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत न्यायनिर्णायक अधिकारी के पद से ऊपर के अपीलीय प्राधिकारी को प्रारूप और रीति से, जो विहित की जा सकती है अपील कर सकता है।

(2) यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है तो अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

15C. वसूली-इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(C) धारा 33 की उपधारा (2) में, खंड (da) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात:-

"(db) धारा 15A की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की विधि;

(dc) धारा 15B की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्रारूप और रीति;"।

(A) धारा 25 में, "पच्चीस हजार रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक अवधि के लिए जिसे छह महीने तक के कारावास और जुर्माना भी" शब्दों के स्थान पर, "दूसरे अपराध के लिए एक लाख

रुपये और जुर्माना, जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और तीसरे और उसके बाद के अपराध के लिए, जुर्माना, जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(B) धारा 27 में, "बीस हजार रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपये और दूसरे अपराध के लिए जुर्माना जो दो लाख रुपये तक हो सकता है और तीसरे और उसके बाद के अपराध के लिए जुर्माना जो चार लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(C) धारा 28 में, "दस हजार रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक अवधि के लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये और दूसरे अपराध के लिए जुर्माना जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और तीसरे और उसके बाद के अपराध के लिए जुर्माना जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(D) धारा 29 में, "दस हजार रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक अवधि के लिए एक वर्ष का कारावास, या जुर्माना, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये दूसरे अपराध के लिए जुर्माना जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और तीसरे और उसके बाद के अपराध के लिए जुर्माना जिसे दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(E) धारा 31 में, "पांच हजार रुपये और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस हजार रुपये और दूसरे अपराध के लिए जुर्माना, जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और तीसरे और उसके बाद के अपराध के लिए, जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(F) धारा 34 में, "जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है और, दूसरे या बाद के अपराध के लिए, 3 महीने से कम का कारावास नहीं लेकिन उसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों, शब्दों के स्थान पर "जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है और दूसरे अपराध के लिए जुर्माना जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है और तीसरे के लिए और उसके बाद के अपराध पर जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(G) धारा 35 में, "जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और, दूसरे या बाद के अपराध के लिए, 3 महीने से कम का कारावास नहीं लेकिन जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों", शब्दों के स्थान पर "जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है और दूसरे

				अपराध के लिए जुर्माना जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है और तीसरे अपराध और उसके बाद के अपराध के लिए जुर्माना, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
				(H) धारा 48 में,-
				(a) उपधारा (1) और (2) में, दोनों स्थानों पर "धारा 27 से 39" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "धारा 27 से 39, धारा 41" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
				(b) उपधारा (3) में, शब्द और अंक "धारा 33 से 37" के बाद, शब्द और अंक "धारा 41" डाले जाएंगे।
41	2012	12	फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011	(A) धारा 21 और 22 के लिए, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-
				"21. दंड.- यदि धारा 19 के अधीन किसी फैक्टर द्वारा प्राप्य राशि के समनुदेशन और प्राप्य राशि की वसूली के किसी लेन-देन का विवरण दाखिल करने में कोई चूक की जाती है, तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, वह पांच लाख रुपए तक के दंड का दायी होगा और जारी रहने वाले अपराध की स्थिति में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान चूक जारी रहती है, दस हजार रुपए तक के अतिरिक्त दंड का दायी होगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक धारा 22 की उप-धारा (2) से (4) के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित करेगा।
				22. रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश का अनुपालन न करने पर शास्तियां.-
				(1) यदि कोई कारक धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, या धारा 19 के अधीन प्राप्य के किसी भी लेनदेन और प्राप्य की वसूली के विवरण दाखिल करने में विफल रहता है तो रिजर्व बैंक शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो पांच लाख रुपये तक हो सकती है और लगातार विफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति जो हर दिन, जिसके दौरान चूक जारी रहती है, के लिए दस हजार रुपये तक हो सकती है।
				(2) उपधारा (1) या धारा 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक इस कारक पर नोटिस देगा कि उसे कारण बताना होगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए और एक उचित अवसर सुनवाई का लाभ भी ऐसे कारक को दिया जाएगा।
				(3) इस धारा या धारा 21 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर देय होगी जिस दिन रिजर्व बैंक द्वारा राशि के भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया है और ऐसी अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में कारक की विफलता की स्थिति में, उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर लगाया जा सकता है जहां फैक्टर का पंजीकृत कार्यालय स्थित है; या, भारत के बाहर निगमित कारक के मामले में, जहां

				भारत में इसके व्यवसाय का मुख्य स्थान स्थित है: परंतु ऐसा कोई निर्देश रिज़र्व बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अदालत में किए गए आवेदन के अलावा नहीं दिया जाएगा: परंतु रिज़र्व बैंक डिफॉल्टर के चालू खाते, यदि कोई हो, को डेबिट करके या डिफॉल्टर के क्रेडिट में रखी गई प्रतिभूतियों को तरल (लिक्विडेटिंग) करके शास्ति की राशि भी वसूल कर सकता है। (4) जो अदालत उपधारा (3) के अधीन निर्देश देती है, वह कारक द्वारा देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगी और ऐसा प्रत्येक प्रमाण पत्र उसी तरीके से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत द्वारा सिविल मुकदमे में की गई एक डिक्री थी। "
42	2016	18	आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016	धारा 41 में, "एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या किसी कंपनी के मामले में, जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों", शब्दों के स्थान पर, "शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपये तक हो सकती है, या किसी कंपनी के मामले में, शास्ति जो दस लाख रुपये तक की हो सकती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डॉ. रीता वशिष्ठ,

भारत सरकार के सचिव।